भरतपुर में अनशन पर बैठे तीन अभ्यर्थियों की तबीयत बिगड़ी

- अभ्यर्थी आरबीएम अस्पताल में भर्ती, एडीएम प्रशासन मिलने पहुंचे
- रीट भर्ती 2018 से जुड़े लंबित नियुक्ति का मामला

भरतपुर, (निसं)। रीट भर्ती 2018 से जुड़े लंबित नियुक्ति विवाद ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। बयाना के हिंडौन रोड स्थित काराबारी-पीलूपुरा स्मारक स्थल पर आमरण अनशन कर रहे तीन अभ्यर्थियों की अचानक तबीयत बिगड़ने से प्रशासन में हड़कंप मच गया। तीनों को पहले बयाना अस्पताल और बाद में जिला आरबीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है।

अस्पताल में भर्ती अभ्यर्थी राजवीर गुर्जर ने बताया कि एमबीसी वर्ग के 372 पदों पर नियुक्ति को लेकर वे पिछले सात साल से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने लिखित में पद देने की बात स्वीकार की थी, लेकिन आज तक नियुक्ति नहीं मिली। कई बार धरना-प्रदर्शन और वार्ताओं के बावजूद कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया।

उन्होंने बताया कि पूर्व में कलैक्टर की समझाइश पर आंदोलन समाप्त किया गया था और 1 मई तक समाधान का आश्वासन मिला था। लेकिन तय समय सीमा तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर अभ्यर्थियों ने 2 मई से दोबारा भूख हड़ताल शुरू कर दी। अनशन के चौथे दिन उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद प्रशासन ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। राजवीर ने कहा कि उन्हें इलाज नहीं, बल्कि अपनी मांगों का समाधान चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रियों और अधिकारियों की बनी कमेटी के साथ सीधी वार्ता कराकर समस्या का स्थायी हल निकाला जाए। इधर, अस्पताल में एडीएम प्रशासन घनश्याम शर्मा अभ्यर्थियों से मिलने पहुंचे और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि उनकी ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया गया। धरना स्थल पर मौजूद अन्य अभ्यर्थियों और गुर्जर समाज के लोगों ने आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। उल्लेखनीय है कि 8 अप्रैल को कलैक्ट्रेट में हुई बैठक में 1 मई तक मंत्रीमंडलीय उपसमिति के साथ वार्ता कराने का भरोसा दिया गया था, जो पूरा नहीं हुआ।चिकित्सकीय टीम के अनुसार, तीनों अभ्यर्थियों का शुगर लेवल काफी गिर गया था और उन्हें चक्कर व कमजोरी की शिकायत थी। फिलहाल अभ्यर्थियों का आरबीएम अस्पताल में उपचार जारी है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि मांगें पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा।

गामीणों को जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी

- ग्राम रथ अभियान के तहत बिलौठी में संध्या चौपाल आयोजित

भरतपुर, (निसं)। जिला कलक्टर कमर चौधरी ने मंगलवार को ग्राम रथ अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायत बिलौठी में आयोजित संध्या चौपाल में भाग लेकर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों को राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा अधिक से अधिक लाभ उठाने का आव्हान किया।

जिला कलक्टर ने कहा कि ग्राम रथ अभियान का मुख्य उद्देश्य आगामी ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के तहत आयोजित कार्यक्रमों की जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाना है, ताकि किसान एवं आमजन कृषि विभाग की योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय में वृद्धि कर सकें। उन्होंने बताया कि इस अभियान के माध्यम से आधुनिक खेती, कृषि उद्यानिकी एवं नवीन तकनीकों की जानकारी ऑडियो-वीडियो के जरिए प्रभावी ढंग से ग्रामीणों तक पहुंचाई जा रही है।उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित 13 विभागों की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ग्राम रथ के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण इन योजनाओं की जानकारी लेकर पात्रतानुसार आवेदन करें और अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाएं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे स्वयं जागरूक बनें और अन्य ग्रामीणों को भी इन योजनाओं के प्रति प्रेरित करें। साथ ही उन्होंने कहा कि संध्या चौपाल जैसे कार्यक्रम प्रशासन और आमजन के बीच संवाद को सशक्त बनाने का प्रभावी माध्यम हैं।

कार्यक्रम के दौरान जिला कलक्टर ने एक स्वामित्व पट्टा तथा दो विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र वितरित कर लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस दौरान अतिरिक्त कलक्टर शहर राहुल सैनी, उपखंड अधिकारी भारती गुप्ता, विकास अधिकारी सेवर विनय मित्र, तहसीलदार संजय सिंह गुर्जर, जिला प्रवक्ता देवेंद्र चौहान, पूर्व सरपंच बहादुर सिंह सहित अनेक जनप्रतिनिधि व ग्रामीणजन उपस्थित रहे।

बैठक आयोजित

करौली, (निसं)। भाजपा खेडा जमालपुर मंडल कार्यालय पर सोमवार सायं 4 बजे संगठन की मासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में जिला मीडिया संयोजक एवं मंडल प्रभारी मुकेश सालौत्री उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष गीता देवी जाट ने की।

कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्रपट पर दीप प्रज्ज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित करते हुए भारत माता के उदघोष के साथ किया गया। इसके बाद अतिथियों का स्वागत एवं सम्मान किया गया।मुख्य वक्ता मुकेश सालौत्री ने कहा कि भाजपा की जीत का मुख्य श्रेय बूथ अध्यक्षों एवं पन्ना प्रमुखों को जाता है। उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा और कार्यशैली अन्य दलों से भिन्न है। आने वाले समय में करौली जिले के सभी मंडलों में बूथ अध्यक्षों एवं पन्ना प्रमुखों को प्राथमिकता देते हुए संगठन को मजबूत किया जाएगा तथा आगामी पंचायत एवं नगर परिषद चुनावों में सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर कार्य करेंगे।

ठेकेदारों के खिलाफ नालों के कार्य में धीमी प्रगति पर कार्रवाही की

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर विकास प्राधिकरण ने शहर में नालों के निर्माण एवं सुधार कार्यों की अत्यंत धीमी प्रगति पर कड़ा रुख अपनाते हुए संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की है। प्राधिकरण द्वारा स्पष्ट किया गया है कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बीडीए आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि कार्यों में अपेक्षित गति नहीं लाई जा रही थी तथा बार-बार निर्देश दिए जाने के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हुआ। इस पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए चार ठेकेदारों को कड़े नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।

जिन कार्यों में पाई गई धीमी प्रगति- बीडीए आयुक्त ने बताया कि मथुरा बाईपास से गोलमोल बगीची तक नाला निर्माण, मथुरा बाईपास से रॉयल हेरिटेज होते हुए सीएफसीडी तक नाला निर्माण,मंडी गेट से आरएनएफसीडी तक नाला निर्माण,किसान भवन से कुम्हेर गेट तक नाला निर्माण, गोलमोल बगीची से तोप सर्कल होते हुए सीएफसीडी तक नाला निर्माण कार्य और मथुरा बाईपास से कुम्हेर गेट तक नाला निर्माण कार्य धीमी प्रगति रही हैं। बीडीए द्वारा मेसर्स जैन बिल्डर्स, मेसर्स मोदी कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स दिनेश कंस्ट्रक्शंस एवं मेसर्स श्यामा कंस्ट्रक्शंस संवेदकों को नोटिस जारी किये गये।आयुक्त ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्यों में सुधार नहीं किया गया तो संबंधित ठेकेदारों के विरुद्ध अनुबंध की शर्तों के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

पश्चिम मध्य रेल

खुली निविदा सूचना

भारत संघ के राष्ट्रपति के लिए एवं उनकी ओर से वरि. मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य), पश्चिम मध्य रेलवे, कोटा निम्नलिखित कार्यों के लिए ई-निविदा आमंत्रित करते है। **(1) निविदा संख्या:** ईएल/50/316/2026-27 **कार्य का नाम:** कोटा-मथुरा (MTJ) एवं कोटा-रुठियाई (RTA) खंड-अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के अंतर्गत 08 स्टेशनों पर 12 मीटर चौड़े सेंट्रल फुट ओवर ब्रिज (FOB) पर शेष 15 लिफ्टों का प्रावधान (SWM-1, BTE-1, GGC-1, HAN-1, SMVJ-1, BXN-3, BAZ-4, CAG-3, कुल= 15)। ई-ऑफिस फाइल कंप्यूटर संख्या 354346 के अनुसार SWM-2, BXN-3, BAZ-4, SMVJ-1, कुल 10 लिफ्टों के लिए निविदा (Tender) निकाली गई। **अनुमानित लागत:** ₹ 6,87,89,251.65/- **बयाना राशि:** ₹13,75,800/- **कार्य समाप्ति अवधि:** 08 माह **निविदा प्रस्तुत करने एवं खुलने की दिनांक तथा समय:** 22.05.2026 को 15.00 बजे तक एवं खुलने का समय 15.15 बजे. ऑफर केवल ई-टेण्डरिंग के माध्यम से वेबसाइट http://www.ireps.gov.in पर स्वीकार किए जायेंगे। निविदा दाता के पास क्लास III डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए एवं आई.आर.ई.पी.एस. पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना चाहिए। कोई भी निविदा मैनुअली स्वीकार नहीं है। निविदा डालने से पहले टेण्डर दस्तावेजों की स्पेशल कण्डीशन्स एवं शर्तें अवश्य पढ़ लें।

(हस्ता.)

वरि.मण्डल विद्युत अभियंता (सामान्य), प.म.रे, कोटा

स्वच्छ भारत अभियान एक कदम स्वच्छता की ओर

डीएम मयंक मनीष ने किया जल महलों का निरीक्षण

डीग/भरतपुर, (निसं)। जिला कलक्टर मयंक मनीष ने मंगलवार को डीग के विश्वविख्यात रियासतकालीन जल महलों का निरीक्षण कर ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण व विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महल परिसर में स्थित गोपाल भवन, नंद भवन, कृष्ण भवन और हरदेव भवन का अवलोकन किया। साथ ही, उन्होंने महल के प्रमुख आकर्षण गोपाल सागर और रूप सागर का भी निरीक्षण किया।

इस दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों ने जिला कलक्टर को जल महल की ऐतिहासिक विशेषताओं, वास्तुकला और इसकी महत्ता के बारे में विस्तार से अवगत कराया। निरीक्षण के दौरान जिला कलक्टर ने सरोवरों को स्वच्छ जल से भरने के लिए निर्मित डीग एस्केप के रिनोवेशन कार्य की वस्तुस्थिति की समीक्षा की।

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2026-27 की बजट घोषणा के अंतर्गत डीग एस्केप के सुदृढ़ीकरण के लिए 20 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि वर्तमान में डीग एस्केप के जीर्णोद्धार कार्य के लिए सैंक्शन की प्रक्रिया चल रही है। सैंक्शन प्राप्त होते ही सिंचाई विभाग द्वारा त्वरित निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर धरातल पर निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा। जिला कलक्टर ने निर्देशित किया कि डीग एस्केप के निर्माण के दौरान बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण किया जाए, जिससे शहर के नालों का गंदा पानी इन सरोवरों में मिलने से रोका जा सके और सरोवरों में केवल स्वच्छ जल की आवक सुनिश्चित हो। इस प्राचीन और मान्यता प्राप्त धरोहर के संरक्षण को लेकर जिला कलक्टर ने दोनों सरोवरों और किले की खाई की नियमित साफ-सफाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने नगर परिषद आयुक्त को निर्देशित किया कि वे सरोवरों की सघन सफाई, पानी के एरियेशन और फव्वारे लगवाने के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार करें। इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा, ताकि आवश्यक फंड उपलब्ध कराकर जल महल के सौन्दर्यीकरण और साफ-सफाई के कार्य को शीघ्र मूर्त रूप दिया जा सके।

कार्यालय नगर परिषद, हिण्डौन सिटी, जिला करौली (राज.)

क्रमांकः-न.प.हि./1179 दिनांकः- 24.04.2026

ई-निविदा सूचना वर्ष 2025-26

नगर परिषद हिण्डौन सिटी की ओर से सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी के नगर परिषद/नगर निगमों/नगर विकास निकायों, जयपुर विकास प्राधिकरण, आवासन मण्डल व केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पंजीकृत संवेदकों एवं राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेल्वे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों, जो कि राजस्थान सरकार के एए, ए., बी., सी, डी श्रेणियों के संवेदकों/फर्मो के समकक्ष हो, से कार्यो हेतु ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में ई-निविदा प्राप्त की जावेगी। ई-निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाईट **http://eproc.rajasthan.gov.in/www.sppp.raj.gov.in** पर देखी जा सकती है।

NIB Code: DLB2627A1122

प्रशासक
नगर परिषद हिण्डौन सिटी

आयुक्त
नगर परिषद हिण्डौन सिटी

राज.संवाद/सी/26/2027

जन समस्याओं को लेकर सौंपा ज्ञापन

भरतपुर, (निसं)। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दिनेश सूपा के निर्देशानुसार शहर की जन समस्याओं को लेकर एक शीर्ष कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सोपा एवं समस्याओं से संबंधित चर्चा की।

कांग्रेस संगठन महासचिव योगेश सिंघल ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शहर में सौंदर्यीकरण एवं विकास के नाम पर शहर में बेतरतीब एवं अव्यावहारिक रूप से तोड़फोड़ की जा रही है, जिससे लोगों के मकान एवं आजीविका के साधन खत्म हो रहे हैं। सरकार द्वारा रजिस्ट्रीशुदा भूखंड एवं इमारतों को अवैध बताया जाकर तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा रही है जो कि सरासर नाइंसाफी है। ज्ञापन में बताया गया कि पूर्व में जिला प्रशासन द्वारा घरों एवं दुकानों के आगे पक्के नालों का निर्माण करवा कर एक सीमा रेखा तय की जा चुकी थी, लेकिन आज की स्थिति में प्रशासन उसे नकार रहा है। लोगों ने पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से लगभग 40 - 50 सालों से अपनी इमारतो के आगे बहुतायात में पेड़ भी लगा रखे हैं, जिन्हें प्रशासन हटाने पर आमादा है। भाजपा सरकार वैसे तो सनातन धर्म का ढिंढोरा पीटती है। लेकिन भरतपुर में कुछ क्षेत्रों में बगीची,मंदिर, देवालय, प्याऊ, पहलवानों के अखाड़े जो की प्राचीन काल से स्थित है उन्हें भी हटाया जा रहा है जो कि सनातन संस्कृति के खिलाफ एवं भाजपा का दोगलापन है। शहर में बेतरतीब एवं चरणबद्ध काम न होने से शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह तरह चरमरा चुकी है। जबकि यातायात पुलिसकर्मी ट्रैफिक व्यवस्था पर ध्यान न देकर केवल मोबाइल से फोटो खींचकर चालान बनाने में लगे हुए हैं।जिला कलेक्टर से बातचीत करते समय पदाधिकारीयो ने कहा कि फैक्ट्रियां तथा कारखानो के बंद होने के कारण भरतपुर पहले से ही भयंकर बेरोजगारी के दौर से गुजर रहा है। रोजगार के साधनों का पूरा अभाव है अब ऐसी स्थिति में विकास के नाम पर अपने छोटे-मोटे रोजगार और रहने के आवास अगर चले जाए तो लोग पलायन और आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे।

राजस्थान सरकार

कार्यालय- वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, वृत-, भरतपुर

क्रमांक:वा.क.अ./भरत/स्टोर-लेखा/2026-27/61 दिनांक:05.05.2026

रद्दी नीलामी की विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में दिनांक 13.05.2026 को प्रात: 11:00 बजे नाकारा एवं नष्ट योग्य अनुपयोगी पत्रावलियों की रद्दी की नीलामी कार्यालय परिसर में की जानी है। जी.एस.टी रजिस्ट्रेशन धारी इच्छुक बोलीदाता/फर्म उक्त दिनांक को निश्चित समय पर कार्यालय में उपस्थित होकर रूपया 500/- धरोहर राशि जमा कराकर नीलामी कार्यवाही में भाग ले सकते हैं। नीलामी से सम्बन्धित शर्तों एवं नीलामी योग्य रद्दी का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में कार्यालय में आकर किया जा सकता है।

(रिशु मोदी)
वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत-ब, भरतपुर

कार्यालय भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर

फोन न0 05644-230688 वेवसाईट urban.rajasthan.gov.in/uitbharatpur.com

क्रमांकः-भविप्रा/भू0वि0शा/नीलामी/2026/5250 दिनांकः 01.05.2026

ई-ऑक्शन के माध्यम से भूखण्ड खरीदने का सुनहरा अवसर

भरतपुर विकास प्राधिकरण भरतपुर द्वारा विभिन्न योजनाओं में आवासीय एवं व्यावसायिक भूखण्ड ई-ऑक्शन द्वारा नीलाम किये जा रहे है,

नीलामी दिनांक : - 19 से 20 मई 2026

क्र.सं.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	साईज फुट व मीटर में	क्षेत्रफल व.ग./ व.मी.	आरक्षित दर प्रति व.ग./व.मी. (लीज हेतु)	अमानत राशि (ई.एम.डी.)	ई-ऑक्शन प्रारम्भ करने की दर (प्रति व.ग./व.मी)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	बिल्डिंग मैटेरियल योजना संख्या-14 (व्यावसायिक)	TYPE-A 2,3,6,7,8	10X30	300.00 व.मी.	14,000 व.मी.	1,30,000.00	43,000.00 प्रति व.मी.
		Type A- 17 C, 47,48,49	10X30	300.00 व.मी.	14,000 व.मी	1,35,000.00	45,000.00 प्रति व.मी.
		Type B- 27,28, 34,35	06X20	120.00 व.मी.	14,000 व.मी	48,000.00	40,000.00 प्रति व.मी.
		Type C-69,70, 74,75	4.5x15	67.50 व.मी.	14,000 व.मी	35,000.00	50,000.00 प्रति व.मी.
		Type D-D8	30x30	900.00 व.मी.	14,000 व.मी	4,00,000.00	44,000.00 प्रति व.मी.
2	एसपीएम नगर योजना (आवासीय)	240,241,245,246	34'x69'	260.66 व.ग.	11,000 व.ग.	1,60,000.00	60,000.00 प्रति व.ग.
3	एसपीएम नगर योजना (व्यावसायिक)	Block A-5	6X(13.73+13.80)/2	82.57 व.मी	22,000 व.मी	70,000.00	80,000.00 प्रति व.मी.
		Block A-6	6X(13.80+13.88)/2	83.02 व.मी	22,000 व.मी	70,000.00	80,000.00 प्रति व.मी.
		A 11	3X(5.52+5.63)/2	16.72 व.मी	22,000 व.मी	20,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
		A 12	3X(5.63+5.74)/2	17.05 व.मी	22,000 व.मी	20,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
		A 18	3X(6.29+6.40)/2	19.02 व.मी	22,000 व.मी	23,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
		A 19	3X(6.40+6.48)/2	19.32 व.मी	22,000 व.मी	23,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
4	ट्रांसपोर्ट नगर योजना फेज-01_ (व्यावसायिक)	15	25x80	222.22 व.ग.	17,000 व.ग.	1,35,000.00	60,000.00 प्रति व.ग.
		X39,X40	10X20	22.22 व.ग.	17,000 व.ग.	26,000.00	1,15,000.00 प्रति व.ग.
		1 (Corner)	30X80	266.66 व.ग.	17,000 व.ग.	3,35,000.00	1,25,000 प्रति व.ग.
		113,124	20X60	133.33 व.ग.	17,000 व.ग.	1,00,000.00	75,000.00 प्रति व.ग.
5	ट्रांसपोर्ट नगर योजना फेज-02_ (व्यावसायिक)	572 (Corner)	15X30	50 व.ग.	17,000 व.ग.	25000	50,000.00 प्रति व.ग.
		752 (Corner)	15X30	50 व.ग.	17,000 व.ग.	25000	50,000.00 प्रति व.ग.
6	सेक्टर-3 योजना (आवासीय)	73A	30X60	199.99 व.ग.	11 000 व.ग.	2,00,000.00	1,00,000.00 प्रति व.ग.
		361 Corner, 362 Corner	52X50	288.89 व.ग.	11 000 व.ग.	2,00,000.00	70,000.00 प्रति व.ग.
		409 Corner	62X69	475.33 व.ग.	11 000 व.ग.	3,33,000.00	70,000.00 प्रति व.ग.
7	सेक्टर-3 योजना (व्यावसायिक)	59, 60	3X6	18 व.मी	22,000 व.मी	50,000.00	2,70,000.00 प्रति व.मी.
		32 Corner	3X6	18 व.मी	22,000 व.मी	50,000.00	2,70,000.00 प्रति व.मी.
		75 Corner	3X6	18 व.मी	22,000 व.मी	50,000.00	2,70,000.00 प्रति व.मी.
8	एस.पी.जेड योजना (आवासीय)	C-132 Corner	12x9	108 व.मी	10,500 व.मी	55,000.00	50,000.00 प्रति व.मी.
		C-148 Corner	12X6	72 व.मी	10,500 व.मी	36,000.00	50,000.00 प्रति व.मी.
		C-179 Corner	17X13.8	234.6 व.मी	10,500 व.मी	1,00,000.00	42,000.00 प्रति व.मी.
		C-180 Corner	(14.15+13.25)/2*(17 +17.02)/2	233.3 व.मी	10,500 व.मी	1,00,000.00	42,000.00 प्रति व.मी.
		D-13 Corner	15X17	255 व.मी	10,500 व.मी	1,40,000.00	55,000.00 प्रति व.मी.
		H-110 Corner	15x25	375 व.मी	10,500 व.मी	1,60,000.00	42,000.00 प्रति व.मी.

Total Plots = 50

Standard BAR/FAR, Maximum Height (Sq.mt.Area) as per Building by laws

नीलामी दिनांक : - 09 एवं 10 जून 2026

क्र. सं.	योजना का नाम	भूखण्ड संख्या	साईज फुट व मीटर में	क्षेत्रफल व.ग./व.मी.	आरक्षित दर प्रति व.ग./व.मी. (लीज हेतु)	अमानत राशि (ई.एम.डी.)	ई-ऑक्शन प्रारम्भ करने की दर (प्रति व.ग./व.मी)
1	2	3	4	5	6	7	8
9	बिल्डिंग मैटेरियल योजना संख्या-14 (व्यावसायिक)	TYPE-A 4,5,18,19,22,23	10X30	300.00 व.मी.	14,000 व.मी.	1,30,000.00	43,000.00 प्रति व.मी.
		Type B-2,3	6X20	120	14,000 व.मी	48,000.00	40,000.00 प्रति व.मी.
		Type C- 117Corner, 119, 124,125, 133	4.5X15	67.50	14,000 व.मी	35,000.00	50,000.00 प्रति व.मी.
		Type C- 169,170,172,175	3X10	30	14,000 व.मी	24,000.00	80,000.00 प्रति व.मी.
		Type D- D9	30X30	900	14,000 व.मी	4,00,000.00	44,000.00 प्रति व.मी.
10	एसपीएम नगर योजना (आवासीय)	154 C	(51+119)/2*(69+95.5)/2	777	11,000 व.ग.	4,60,000.00	58,800.00 प्रति व.ग.
		155 C	(51+115)/2*(69+93)/2	747	11,000 व.ग.	4,40,000.00	58,800.00 प्रति व.ग.
		830	(18X35)	70.00	11,000 व.ग.	53,000.00	75,000.00 प्रति व.ग.
11	एसपीएम नगर योजना (व्यावसायिक)	A 13	3X(5.74+5.85)/2	17.38	22,000 व.मी	21,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
		A 14	3X(5.85+5.96)/2	17.71	22,000 व.मी	21,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
		A 23	3X(6.74+6.85)/2	20.39	22,000 व.मी	25,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
		A 24	3X(6.85+6.96)/2	20.71	22,000 व.मी	25,000.00	1,20,000.00 प्रति व.मी.
		A 61	6X12.01	72.06	22,000 व.मी	94,000.00	1,30,000.00 प्रति व.मी.
		Block B-B2 (Corner)	(28.64+17.77)/2* (50.60+48.90)/2	1140.93	22,000 व.मी	5,70,000.00	50,000.00 प्रति व.मी.
12	ट्रांसपोर्ट नगर योजना फेज-01_ (व्यावसायिक)	92 (Corner)	20X60	133.33	17,000 व.ग.	1,00,000.00	75000 प्रति व.ग.
		128,129	20X60	133.33	17,000 व.ग.	1,00,000.00	75000 प्रति व.ग..
13	ट्रांसपोर्ट नगर योजना फेज-02_ (व्यावसायिक)	768 (Corner)	15X30	50	17,000 व.ग.	25,000.00	50000 प्रति व.ग.
		800 (Corner)	15X30	50	17,000 व.ग.	25,000.00	50000 प्रति व.ग.
14	सेक्टर-3 योजना (आवासीय)	332 (Corner)	45X50	250	11 000 व.ग.	1,75,000	70000 प्रति व.ग.
		391 (Corner)	45X50	250	11 000 व.ग.	1,75,000	70000 प्रति व.ग.
		392 (Corner)	74X69	567.33	11 000 व.ग.	4,00,000	70000 प्रति व.ग.
		439 (Corner)	74x89	731.78	11 000 व.ग.	5,15,000	70000 प्रति व.ग..
		440 (Corner)	49X89	484.56	11 000 व.ग.	3,40,000	70000 प्रति व.ग.
15	एस.पी.जेड योजना (आवासीय)	B-34 (Corner)	10X12	120	10,500 व.मी	63,000	52000 प्रति व.मी
		B-41 (Corner)	(18+14.73)/2*(9.77+12.14)/2	179.27	10,500 व.मी	94,000	52000 प्रति व.मी
		B-243 (Corner)	12X6.75	81	10,500 व.मी	40,000	50000 प्रति व.मी
		B-266 (Corner)	9X12	108	10,500 व.मी	60,000	55000 प्रति व.मी
		C-112 (Corner)	9X9	81	10,500 व.मी	40,000	50000 प्रति व.मी
		C-131 (Corner)	9x9	81	10,500 व.मी	40,000	50000 प्रति व.मी
		D-173 (Corner)	20x15	300	10500	1,35,000	45000 प्रति व.मी

Total Plots = 44

Standard BAR/FAR, Maximum Height (Sq.mt.Area) as per Building by laws

1. क.स. 1 से 15 के भूखण्डों हेतु रजिस्ट्रेशन, अमानत राशि, पहचान पत्र अपलोड करने की कार्यवाही दिनांक 11.05.2026 को प्रातः 10 बजे से सारणी में अकिंत बोली प्रारम्भ किऐ जाने की तिथि से एक दिवस पूर्व सांय 6 बजे तक की जावेगी।
2. आमजन को सूचित किया जाता है कि अगर नीलामी में रखे गये भूखण्डों पर किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो नीलामी से पूर्व मय साक्ष्य के प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।
3. ई-ऑक्शन की पूर्ण जानकारी व शर्ते प्राधिकरण कार्यालय में एवं **sso.rajasthan→Urbanservices→Citizenservice→E-Auction** के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

अन्य शर्ते एवं नियम

1. अमानत राशि ऑनलाईन नीलामी में भाग लेने वाला व्यक्ति को कॉलम संख्या 7 में अंकित राशि (नियमानुसार) राशि अमानत के रूप में जमा कराकर नीलामी में भाग ले सकेगा। सफल बोली दाता की अमानत राशि विक्रय मूल्य में समायोजन की जायेगी एवं असफल बोलीदाता की अमानत राशि पुर्नभुगतान कर दी जायेगी।
2. उच्चतम बोली दाता को बोली की 15 प्रतिशत राशि नीलामी स्वीकृति दिनांक से 3 कार्य दिवस दिवस में जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में बोलीदाता की जमा अमानत राशि प्राधिकरण पक्ष में जब्त की जाकर बोली स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।
3. ऑनलाईन नीलामी की दर स्वीकृति पश्चात सफल बोलीदाता को बोली की 35 प्रतिशत राशि को नीलामी दिनांक से 120 दिवस में जमा करानी होगी एंव शेष 50 प्रतिशत राशि ऑनलाईन नीलामी दिनांक से 180 दिवस में जमा करानी होगी।
4. सफल बोलीदाता को बोली की समस्त राशि निश्चित समयावधि 180 दिवस एंव अतिरिक्त समयावधि 90 दिवस में मयब्याज एंव (180+90) कुल 270 दिवस निकल जाने के बाद नीलामी स्वतः ही निरस्त हो जायेगी व पूर्व में जमा 15 प्रतिशत राशि जब्त कर ली जावेगी।
5. प्रत्येक भूखण्ड की नीलामी पर 1 प्रतिशत नीलामी कमीशन पृथक से देय होगा।
6. यदि सफल बोलीदाता मांग पत्र जारी दिनांक से 15 दिवस में समस्त राशि को जमा करता है तो बोली राशि में 1 प्रतिशत की छूट प्रदान की जायेगी।
7. यदि बोलीदाता निश्चित समयावधि में राशि जमा कराने में असफल रहता है तो जमा 15 प्रतिशत राशि स्वतः ही प्राधिकरण पक्ष में जब्त हो जायेगी बोली एवं स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी।
8. बोलीदाता को पेनकार्ड की प्रति जमा करानी होगी।
9. ऑनलाईन बोली ई-ऑक्शन प्रारंम्भ करने की दर 1,00,000 रूपये (प्रति वर्गगज/वर्गमीटर) तक 500/- रूपये प्रति वर्ग गज/वर्गमीटर के गुणांक एंव ई-ऑक्शन प्रारंम्भ करने की दर 1,00,000 रूपये से अधिक (प्रति वर्गगज/वर्गमीटर) तक 1000/- रूपये प्रति वर्ग गज/वर्गमीटर के गुणांक में ही स्वीकार की जायेगी।
10. नगरीय कर/लीज राशि योजना की आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत आवासीय एवं 5 प्रतिशत व्यावसायिक प्रतिवर्ष देय होगी।
11. 300 वर्गमीटर से अधिक के आवासीय भूखण्ड पर 10/-प्रति वर्ग मीटर एवं सभी व्यावसायिक भूखण्डों पर 25/- प्रति वर्गमीटर की दर से पृथक से बी.एस.यू.पी फण्ड देय होगा।
12. भूखण्ड मौके पर जैसी स्थिति में है उसी स्थिति में नीलाम किया जायेगा व क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है, बोली दाताओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बोली प्रक्रिया में भाग लेने से पहले प्रस्तावित भूखंड की साइट का दौरा अवश्य करें।
13. नीलामी में विक्रय किये जाने वाले भूखण्डों पर उचित प्रतिस्पर्धा होने की स्थिति में एवं उचित दर प्राप्त होने पर ही नीलामी समिति द्वारा भूखण्ड आवंटन की अनुशंसा योग्य माना जायेगा।
14. उच्चतम बोली को स्वीकार/अस्वीकार (बिना किसी कारण) करने का अंतिम अधिकार प्राधिकरण अध्यक्ष में निहित है।
15. शर्ते भरतपुर विकास प्राधिकरण के अनुसार मान्य होंगी।
16. अमानत राशि व मांगपत्र ऑनलाईन पॉर्टल के माध्यम से ही देय है।
17. 50 लाख अथवा इससे अधिक मूल्य के आवासों/भूखण्ड पर आयकर का प्रावधान 194-IA के अनुसार केता को कुल भूखण्ड की राशि का एक प्रतिशत टीडीएस राशि जमा करानी होगी।
18. नीलामी में भाग लेने वाले बोलीदाता को SSO ID के माध्यम से लॉग इन कर अरबन सर्विसेज में अपनी प्रोफाईल बनाकर ही भाग लेना होगा एवं धरोहर राशि भी ऑनलाईन जमा करानी होगी। धरोहर राशि जमा कराने के पश्चात ही ऑनलाईन बोली लगाई जा सकेगी।
19. मौकानुसार भूखण्ड की साईज में परिवर्तन होने पर प्राप्त दर अनुसार राशि घटाई व बढाई जा सकेगी तथा गोलाई/त्रिज्या में आने वाले क्षेत्र की राशि कम नही की जायेगी।
20. ऑनलाईन नीलामी प्रकिया में अंतिम 5 मिनट में किसी भी आवास/भूखण्ड पर बोली लगने पर बोली का समय स्वत 5 मिनट बढ जायेगा।
21. आमजन को सूचित किया जाता है कि अगर नीलामी में रखे गये भूखण्डों पर किसी न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया हो तो नीलामी से पूर्व मय साक्ष्य के प्राधिकरण कार्यालय में प्रस्तुत करें।
22. भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर किसी भी प्रकार की इन्टरनेट नेटवर्क संबंधी समस्या के लिए जबाव देय नहीं होगा।

राज.संवाद/सी/26/1984 **निदेशक वित्त एवं प्रभारी अधिकारी (नीलामी)** **सचिव**